



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

गोरखपुर  
गोरखपुर सदर  
231880030187315  
583233038386

जारी दिनांक: 19/09/2023

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

राजन गुप्ता/RAJAN GUPTA  
श्री दिनेश गुप्ता  
श्रीमती संगीता देवी  
0305-U, जंगल नकहा नंबर 1



गोरखपुर सदर  
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की रौनिया जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राजन गुप्ता/RAJAN GUPTA पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: दीपशिखा मल्ल, सहज जन सेवा केंद्र  
पद: दीपशिखा मल्ल, केन्द्र प्रभारी

स्थान : 70, W NO 70 Nakaha no 1 Ramjanki

Nagar, गोरखपुर सदर, Nagar Nigam

Gorakhpur, गोरखपुर सदर

दिनांक: 19/09/2023

हस्ताक्षर एवं मुहर

VIKASH  
SINGH

Digitally Signed by  
VIKASH SINGH  
O=Personal,  
S=BIHAR

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

गोरखपुर सदर, गोरखपुर

दिनांक: 19/09/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।